

मुखी डूट वगैरे
कागज कुशबोगा
शिखरीपाड़ा

राजस्व न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, दुमका

अनुसूची 14 फारम सं० 5651
बोर्ड फारम सं० 508

(बोर्ड के आदेश सं० 4116 बी ता० 12-8-11 में अनुमोदित)

(स्थायी रूप से रक्षणीय)

संयुक्त मुख्य - पृष्ठ और पत्रावरण

(देखें नियम 127 अभिलेख-हस्तक, 1991)

..... विभाग

(पहला पत्रा)

केस नं० SR case no वर्ष 11/08-09 रजिस्टर सं०

इस्टेट परगना तौजी सं०

अर्जीकार -

प्रतिपक्षी

अधिनियम सं० वर्ष के अधीन

निर्णय की तारीख अभिलेखागार में प्राप्त होने की तारीख

क्र० सं०	कागज का वर्णन	किस तारीख को फाईल किया गया	पत्रों की संख्या	स्टाम्पों का मूल्य	कागज की श्रेणी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में दिप्रामी तारीख सहित
14.10.2020	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक-28.12.2020 को रखें। भूमि सुधार उपसमाहर्ता, दुमका।	
28.12.2020	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक-17.03.2021 को रखें। भूमि सुधार उपसमाहर्ता, दुमका। लॉकडाउन एवं कोरोना के कारण न्यायालय स्थगित रखा गया। भूमि सुधार उपसमाहर्ता, दुमका।	
14.08.2021	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक-25.09.2021 को रखें। भूमि सुधार उपसमाहर्ता, दुमका।	
25.09.2021	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक-25.10.2021 को रखें। भूमि सुधार उपसमाहर्ता, दुमका।	
25.10.2021	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक-27.11.2021 को रखें। भूमि सुधार उपसमाहर्ता, दुमका।	
27.11.2021	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक-28.01.2022 को रखें। भूमि सुधार उपसमाहर्ता, दुमका।	
28.01.2022	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक-28.02.2022 को रखें। भूमि सुधार उपसमाहर्ता, दुमका।	

आदेश की क्रम
संख्या और
तारीख

22.02.2022

अभिलेख उपस्थापित।

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि उभयपक्ष लगातार अनुपस्थित है। जिससे प्रतीत होता है कि उभय पक्ष की वाद में कोई अभिरुची नहीं है। फलस्वरूप वाद की कार्रवाई करने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उभयपक्ष की अभिरुची के अभाव में वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।
लेखापित एवं संशोधित।

22-2-2022

22-2-2022

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
दुमका।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
दुमका।